बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म०प्र०)

==

260

निगरानी क्र०- R. 3211-III/14 सन्-2013-14

1- मिजाजी तनय कामता प्रसाद कोरी

2- सरमन तनय कामता प्रसाद कोरी

3- लीला तनय मुलू कोरी

4-जगदीश तनय गंसू कोरी

5- बबलू तनय नत्थू अनुरागी

निवासीगण ग्राम कुसमा तह० महाराजपुर जिला छतरपुर म०प्र०

6- राजेन्द्र कुमार तनय कालीचरण पटेल

निवासी नगर बाई पास रोड, पायल होटल के सामने खजुराहो

तहसील - राजनगर जिला छतरपुर म०प्र० .

7- भग्गू तनय मुलुवा कोरी

8- छन्नू तनय अमना कोरी

9- जुग्गू कोरी तनय मनका कोरी

निवासीगण ग्राम बिक्रमपुर तह० राजनगर जिला छतरपुर म०प्र०

10- अर्जुन तनय मनका नि० बिक्रमपुर तह०-

राजनगर जिला छतरपुर म० प्र० . .. .. निगरानीकर्तागण

बनाम

1- अवध बिहारी तनय बाला प्रसाद मिश्रा (ब्रह्मण)

2- गोबिन्द सिंह तनय रंगदेव सिंह

3- आनंद लखेरा तनयश्री रामस्वरूप लखेरा

4- सुबराती मुसलमान तनय पीर मुहम्मद

निवासीगण ग्राम बमीठा तह० राजनगर जिला छतरपुर म०प्र०

5- किशन लाल तनय हल्कुवा चमार

निवासी ग्राम बमीठा तह० राजनगर जिला छतरपुर म०प्र०

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3211-तीन/2014 जिला छतरपुर मिजाजी विरूद्ध अवधबिहारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 23/अ-3/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 09-07-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-09-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 16.01.19
सदस्य